पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 253/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.08.2024 को थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा गोतस्करी व पुलिस टीम पर हमला करने वाले 02 गो तस्करों को अवैध असलहा, कारतूस व एक पिकअप के साथ गिरफ्तार किया गया है।

थाना – तहबरपुर

गोतस्करी व पुलिस टीम पर हमला करने वाले 02 गोतस्कर गिरफ्तार; अवैध असलहा व कारतूस भी बरामद।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 11/12.08.2024 की रात्रि में मौनी बाबा कुटिया के पास गो-तस्कर द्वारा गाय व साड़ लादने का प्रयास किया जा रहा था कि थाना स्थानीय के गस्त में लगे पुलिस कर्मचारीगण जैसे ही पहुंचे तो उनको देखते ही पिकअप पर सवार व्यक्तियो द्वारा ईट, पत्थर से हमला कर दिया गया धमकी देते हुए भाग गये, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 176/2024 धारा 3(5),191(2),352,351(2),125,132 भा0न्या0सं0 सम्पादित की जा रही है, जिसके क्रम में –

गिरफ्तारी का विवरण –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित गोतस्करों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी तहबरपुर को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 17.08.2024 को उ0नि0 रतन सिंह पटेल मय हमराह चेकिंग के दौरान ओहनी, बैरमपुर की तरफ से एक चार पहिया वाहन आती दिखाई दी, जिसको रोकने का ईशारा किया गया तो वाहन सवार पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे, कि पुलिस टीम द्वारा मौके पर महिन्द्रा बुलेरो पिकअप चालक राशिद पुत्र आलमगीर निवासी ग्राम सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ तथा खलासी सीट पर बैठे समीर पुत्र मोकीम निवासी ग्राम बैरीडिहा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर को मौके पर ही अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तथा इनके चार साथी फरार हो गये। जिनको समय रात्रि 02.20 बजे हिरासत पुलिस लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम लोगो का एक गिरोह है हम लोग रात में निकल कर रास्ते में कही भी गाय या साड़ मिलते थे उनको पिकअप में लाद लेते थे। करीब 5-6 दिन पहले हम सभी लोगो को जानकारी हुआ कि मौनी बाबा कुटिया रघुनाथपुर मे खुले में गाय व साड़ घुमते रहते है, तो हम लोगो ने प्लान बनाये कि वहा पर जाकर गाय व साड़ को पिकअप पर लाद लेंगे कि दिनांक 11,12 अगस्त की रात मे समय करीब 2.00 से 3.00 बजे के बीच हम सभी लोग पिकअप से जब मौनी बाबा कुटिया के पास पहुचे तो गाड़ी को रोककर गाय व साड़ को लादने के तैयारी में थे कि तभी वहाँ पर कुटिया की तरफ से 2 पुलिस वाले आते हुए दिखाई दिये, हम लोगो का प्लान विफल हो गया तो हम लोगो को गुस्सा आया और बचने के लिए अपने पिकअप गाड़ी में रखे ईट व पत्थर के टुकड़े से उन पुलिस वालों पर हमला करके भाग गये थे।

पंजीकृत अभियोग–

1-मु0अ0सं0 180/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-राशिद पुत्र आलमगीर निवासी ग्राम सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

2-समीर पुत्र मोकीम निवासी ग्राम बैरीडिहा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर

बरामदगी-

1- 2 देशी तमंचा .315 बोर, 2 जिन्दा कारतूस .315 बोर

2- एक सीज शुदा महेन्द्रा बुलेरो पीकप

<u>आपराधिक इतिहास- अभियुक्त राशिदः-</u>

1. मु0अ0सं0 176/2024 धारा 3(5),191(2),352,351(2),125,132 भा0न्या0सं0 थाना तहबरपुर, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 180/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 107/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बरहज जनपद देवरिया
4. मु0अ0सं0 417/2023 धारा 8/20 NDPS Act. थाना शाहगढ़ जनपद जौनपुर

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त समीरः-</u>

1. मु0अ0सं0 176/2024 धारा 3(5),191(2),352,351(2),125,132 भा0न्या0सं0 थाना तहबरपुर, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 180/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर, आजमगढ़

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 रतन सिंह पटेल मय हमराह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

2.उ0नि0 दशरथ उपाध्याय मय हमराह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़